वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत समग्र गव्य विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग निर्देशिका

1. **योजना का नाम :**
समग्र गव्य विकास योजना

2. **योजना का उद्देश्य :**

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/दुग्ध उत्पादकों/शिक्षित युवक–युवतियों के लिए स्व–रोजगार के अवसर और आधारभूत संरचना उत्पन्न कर उनके आय में अभिवृद्धि करना है तथा श्रेष्ठ प्रजनन स्टॉक के संरक्षण और विकास के लिए हीफर बाछी पालन को प्रोत्साहित करना है। व्यापारिक स्तर पर दूध की गुणवत्ता को अक्षुण्ण रखते हुये पारंपरिक प्रौद्योगिकी को अद्यतन करना और दूध जनित पदार्थों का उत्पादन करके दूध के मूल्य को सवंर्धित कर गव्य प्रक्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्त्तन लाना है।

राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/भूमिहीन/लघु कृषक/सीमांत कृषक/गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले कृषक/दुग्ध उत्पादकों/शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों द्वारा उन्नत नस्ल के 2, 4, 6 एवं 10 दुधारू मवेशी की इकाई तथा 5, 10, 15 एवं 20 बाछियों की इकाई, मिल्कींग मशीन, मिल्कोटेस्टर, बल्क मिल्क कूलर एवं देशी दुग्ध उत्पाद के निर्माण हेतु संयंत्र यथा पनीर, खोआ, घी एवं आईसक्रीम संयंत्र स्थापित कर इनकी आर्थिक एवं समाजिक स्थिति सुदृढ़ करना है, जो कि राज्य के नागरिकों के न्यूनतम पौष्टिक आवश्यकता की पूर्त्ति में सहायक सिद्ध होगी।

3. **कार्यक्षेत्र :**

राज्य के सभी जिले में : दुधारू मवेशी एवं बाछी पालन इकाई की स्थापना।

राज्य के दस जिले : यथा नवादा, अरवल, औरंगाबाद, गोपालगंज, शेखपुरा, पूर्णियाँ, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज एवं अररिया में मिल्कींग मशीन, मिल्कोटेस्टर, बल्क मिल्क कूलर एवं देशी दुग्ध उत्पाद के निर्माण हेतु संयंत्र यथा पनीर, खोआ, घी, एवं आईसक्रीम संयंत्र की स्थापना।

4. **पात्रता :**

राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/भूमिहीन/लघु कृषक/सीमांत कृषक/गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले कृषक/शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को शामिल किया जायेगा।

5. **योजना का क्रियान्वयन :–**

(i) योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु इच्छुक लाभूकों द्वारा बाछी पालन/दुधारू मवेशी इकाई की स्थापना/दुग्ध संयंत्र इकाई की स्थापना हेतु अपना आवेदन संबंधित जिला के जिला गव्य विकास कार्यालय में समर्पित करेंगे।

(ii) जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का स्क्रीनिंग जिला के जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी के अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी, सदस्य सचिव होंगे तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं उद्योग विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी सदस्य होंगे। आवेदकों की उपस्थिति में आहूत होने वाली स्क्रीनिंग समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे। स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों की समीक्षा एवं जाँचोपरांत स्वीकृत आवेदनों को अनुशंसा के साथ संबंधित बैंक को अग्रसारित करेंगे।

(iii) स्क्रीनिंग समिति की बैठक जिला स्तर पर प्रत्येक माह के 15 वीं तारीख को आयोजित की जायेगी, जिसमें लाभूकों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा/जाँच कर आवेदक की उपस्थिति ऋण स्वीकृति हेतु सीधे बैंकों को भेजी जायेगी।

(iv) बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने के उपरान्त दुधारू मवेशीयों/Asset का क्रय, क्रय समिति के समक्ष राज्य के अंदर पशु हाटों एवं मेलों में किया जाएगा। मिल्कींग मशीन, मिल्कोटेस्टर, बल्क मिल्क कूलर एवं देशी दुग्ध उत्पाद के निर्माण हेतु संयंत्र का क्रय मान्यता प्राप्त पंजीकृत निर्माता या आपूर्तिकर्ता से क्रय समिति की देख रेख में उच्च गुणवत्ता का न्यूनतम दर पर किया जाएगा। क्रय के उपरान्त Asset के साथ लाभूक एवं क्रय समिति के सदस्यों का संयुक्त फोटोग्राफी होना अनिवार्य होगा।

(v) मवेशियों का क्रय क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा। क्रय समिति में संबंधित बैंक के प्रबंधक या उनके प्रतिनिधि, जिला गव्य विकास पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि, पशु चिकित्सक एवं बीमा पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि होंगे। बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि को क्रय स्थल पर ले जाने की जिम्मेदारी बैंक की होगी एवं पशु चिकित्सक को स्थल पर ले जाने की जिम्मेदारी संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी की होगी।

(vi) योजना अन्तर्गत किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अन्तर्गत निर्धारित लागत व्यय से अधिक होने पर भी सब्सिडी का भुगतान परियोजना शर्त्त के आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त व्यय होने वाली राशि का वहन लाभूकों को स्वयं वहन करना होगा। लाभूको द्वारा किसी भी इकाई की स्थापना या क्रय परियोजना अन्तर्गत आंशिक रूप में किये जाने कि स्थिति में सब्सिडी का भुगतान अनुपातिक रूप से किया जायेगा। साथ ही सब्सिडी का वितरण Back ended किया जायेगा।

(vii) बैंक द्वारा दुधारू मवेशी/बाछी/Asset क्रय के पश्चात सामान्य जाति के लाभूकों को 50% तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभूकों को 66.66% सब्सिडी के रूप अनुदान की राशि विमुक्त करने हेतु दावा विपत्र आवेदन के ऋण खाता संख्या– एवं उसके खाते में Disburse की गयी राशि अंकित करते हुए संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी जाँचोपरन्त प्रमाण पत्र अंकित करते हुए संबंधित बैंक को अपनी अनुशंसा के साथ सब्सिडी विमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

(viii) ऐसे दावा विपत्र मान्य नहीं होंगे, जिसमें पशु क्रय प्रतिवेदन में क्रय समिति के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर न हों।

(ix) लाभूक से इस आशय का शपथ–पत्र लिया जायेगा कि डेयरी इकाई के स्थापना से प्राप्त परिसम्पति का संवर्द्धन कम से कम अगले तीन वर्षो तक करेंगे। तीन वर्ष के पूर्व परिसम्पति के हस्तान्तरण किये जाने पर संगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।

(x) इस योजना के तहत निर्धारित सब्सिडी लाभूकों को दोनों स्थिति में देय होगा। यदि लाभूक बैंक से ऋण लें अथवा स्वयं वहन करें। निर्धारित लक्ष्य का कम से कम 50% बैंक द्वारा वित्त सम्पोषण के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जायेगा। स्वलागत से डेयरी इकाई की स्थापना करने वाले लाभूकों को योजना लागत की पूर्ण राशि उपलब्ध होने संबंधी प्रमाण संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना होगा। योजना के क्रियान्वयन (Asset Creation) के पश्चात ही सब्सिडी की राशि का भुगतान किया जायेगा।

(xi) डेयरी इकाई/डेयरी संयंत्र इकाई की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्य के पूर्ण हो जाने के उपरान्त न तो डेयरी इकाई/डेयरी संयंत्र इकाई स्थापित की जायेगी और नही लाभूकों/ बैंक द्वारा अनुदान का दावा मान्य नहीं होगा। लाभूकों को सब्सिडी का लाभ पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

3/10/12

निदेशक,
गव्य विकास निदेशालय,
बिहार, पटना।

आवेदन पत्र पावती

समग्र गव्य विकास योजना **वित्तीय वर्ष 2017-18**

जिला गव्य विकास कार्यालय,...

श्री / श्रीमती..,

पिता / पति श्री ...., ग्राम / मुहल्ला..

पोस्ट–.., थाना–.., प्रखण्ड–...

जिला–..., पिन–.., मो0न0..

से समग्र गव्य विकास योजना, वित्तीय वर्ष 2017–18 अंतर्गत ....इकाई

की स्थापना की योजना हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया।

अनुलग्नकः–

1 आवेदन पत्र की दो मूल प्रति।

2 मतदाता फोटो पहचान पत्र / आधार कार्ड / आवासीय प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित दो छाया प्रति।

3 जमीन संबंधी रसीद की छाया प्रति।

4 बैंक का डिफॉल्टर नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र।

5 परियोजना प्रतितवेदन की प्रति।

6 दुग्ध समिति की सदस्यता, डेरी से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं शराब बंदी से प्रभावित होने के संबंध में प्रमाण की छाया प्रति।

7 स्वलागत योजना हेतु बैंक / डाकघर में पूर्ण राशि उपलब्धता के संबंध में पासबुक की छाया प्रति।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
कार्यालय का मुहर पावती
संख्या तथा तिथि के साथ

आवेदन पत्र पावती

समग्र गव्य विकास योजना **वित्तीय वर्ष 2017-18**

जिला गव्य विकास कार्यालय,...

श्री / श्रीमती..,

पिता / पति श्री ...., ग्राम / मुहल्ला..

पोस्ट–.., थाना–.., प्रखण्ड–...

जिला–..., पिन–.., मो0न0..

से समग्र गव्य विकास योजना, वित्तीय वर्ष 2017–18 अंतर्गत ....इकाई

की स्थापना की योजना हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया।

अनुलग्नकः–

1 आवेदन पत्र की दो मूल प्रति।

2 मतदाता फोटो पहचान पत्र / आधार कार्ड / आवासीय प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित दो छाया प्रति।

3 जमीन संबंधी रसीद की छाया प्रति।

4 बैंक का डिफॉल्टर नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र।

5 परियोजना प्रतितवेदन की प्रति।

6 दुग्ध समिति की सदस्यता, डेरी से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं शराब बंदी से प्रभावित होने के संबंध में प्रमाण की छाया प्रति।

7 स्वलागत योजना हेतु बैंक / डाकघर में पूर्ण राशि उपलब्धता के संबंध में पासबुक की छाया प्रति।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
कार्यालय का मुहर पावती
संख्या तथा तिथि के साथ

-: आवेदन पत्र :-

समग्र गव्य विकास योजना 2017-18

आवेदक का रंगीन फोटो

सेवा में,

जिला गव्य विकास पदाधिकारी, ...।

महाशय, मैं वित्तीय वर्ष 2017–18 में आपके विभाग द्वारा स्वीकृत समग्र गव्य विकास योजना अंतर्गत निम्नांकित में से...की योजना स्थापित करना चाहता/चाहती हूँ। (कृपया जो लागु हो उसे (✓) करें)

(i)	02 दुधारू मवेशी		04 दुधारू मवेशी		06 दुधारू मवेशी		10 दुधारू मवेशी		
(ii)	05 बाछी पालन		10 बाछी पालन		15 बाछी पालन		20 बाछी पालन		
(iii)	मिल्कींग मशीन		दूध जाँच उपकरण		बल्क मिल्क कुलर		500/ 1000/ 3000/ 5000 लीटर क्षमता		
(iv)	देशी दुग्ध उत्पाद निर्माण हेतु दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापना		खोआ मेकिंग		पनीर मेकिंग		घी मेकिंग		आईसक्रीम प्लांट

परियेजना का कुल लागत व्ययः– रू0

बैंक ऋण/स्वलागत पर लेना चाहते हैं:–

1 आवेदक का नामः–

2 पिता/पति का नामः–

3 शैक्षणिक योग्यताः–

4 उम्रः– वर्ष– माह– दिन–

5 पेशाः–

6 कोटिः– सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

7 आवेदक का पूर्ण पताः– ग्राम– पोस्ट– थाना– प्रखण्ड– जिला–
पिनकोड– मो0/दूरभाष संख्या–

8 आवेदक/आवेदक के परिवार के पास उपलब्ध जमीन (रकवा)–

9 हरा चारा उगाने हेतु कृषि योग्य उपलब्ध जमीन (एकड़) में–

10 सिंचाई का साधन–

11 वर्त्तमान में आवेदक के पास मवेशी की संख्या– गाय– भैंस– बाछा– बाछी– बैल–

12 वर्त्तमान में आवेदक के पास कुल उत्पादित दूध की मात्रा (लीटर)–

13 वर्त्तमान में उत्पादित दूध के लिये उपलब्ध बाजार–

14 आवेदक उत्तर हाँ या नहीं में दें– (i) दुग्ध समिति के सदस्य है– (ii) डेरी से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं–
(iii) शराब बंदी से प्रभावित हैं–

15 निकटतम पशु चिकित्सालय की दूरी (किलोमीटर)–

16 वित्त पोषण बैंक का नाम/स्वलागत के लिये बैंक का नाम एवं खाता संख्या–

मैं ....पिता/पति श्री–...घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी सही है तथा गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन पत्र को रदद् कर दिया जाय। साथ ही यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी बैंक का डिफॉल्टर नहीं हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर

उपर्युक्त तथ्यों की जाँच की गयी एवं सही पाया। योजना हित में अनुशंसा करता हूँ।

अग्रसारित करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर

स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अनुलग्नकः–

1 मतदाता फोटो पहचान पत्र/आधार कार्ड/आवासीय प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित दो छाया प्रति।
2 जमीन संबंधी रसीद की छाया प्रति।
3 बैंक का डिफॉल्टर नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र।
4 परियोजना प्रतिवेदन की प्रति।
5 दुग्ध समिति की सदस्यता, डेरी से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं शराब बंदी से हाने के संबंध में प्रमाण की छाया प्रति।
6 स्वलागत योजना हेतु बैंक/डाकघर मे पूर्ण राशि उपलब्धता के संबंध में पासबुक की छाया प्रति।

समग्र गव्य विकास योजना 2017-18

उन्नत नस्ल के 02 दुधारू मवेशी की योजना अंतर्गत परियोजना प्रतिवेदन

योजना की आर्थिक रूप–रेखा

1	आधारभूत मान्यताएँ:–	उन्नत नस्ल की प्रत्येक दुधारू मवेशी, वियान के पश्चात् 300 दिनों की अवधि में 3500 लीटर दूध देगी। प्रत्येक मवेशी 65 दिन की विसुखी अवधि में रहेगी। प्रथम या द्वितीय वियान की मवेशी का ही क्रय किया जायेगा।

2	तकनीकी मापदण्ड:–	
	– एक इकाई में कुल दुधारू मवेशी की संख्या–	2
	– प्रत्येक मवेशी का प्रतिदिन औसत दूध उत्पदन–	12 लीटर

3	प्रति मवेशी प्रतिदिन चारा की आवश्यकता		
	(1) दूध देने की अवधि में–	हरा चारा –	20 कि0 ग्रा0
		सुखा चारा–	5 कि0 ग्रा0
		संतुलित पशु आहार–	5 कि0 ग्रा0
	(2) विसुखी अवधि में–	हरा चारा –	15 कि0 ग्रा0
		सुखा चारा–	7 कि0 ग्रा0
		संतुलित पशु आहार–	1 कि0 ग्रा0

4	वित्तीय मापदण्ड :–	
	–एक उन्नत नस्ल के मवेशी की कीमत –	रू0 50,000/-
	–प्रति लीटर दूध की बिक्री का मूल्य –	रू0 35/-
	–संतुलित पशु आहार का कीमत प्रति कि0 ग्रा0–	रू0 20/-
	–हरा–चारा का मूल्य प्रति कि0 ग्रा0–	रू0 3/-
	–सूखा–चारा का मूल्य प्रति कि0 ग्रा0–	रू0 5/-
	–रख–रखाव एवं पशु चिकित्सा पर व्यय (प्रति वर्ष) प्रति इकाई–	रू0 2,500/-
	–प्रति गनी बैग बिक्री से आय –	रू0 20/-

उन्नत नस्ल का 02 दूधारू मवेशी की योजना की रूप रेखा प्रति इकाई

(I) पूँजीगत खर्च :–

1.	दुधारू मवेशी–02	प्रति दुधारू मवेशी रू0 50,000 / – की दर से (प्रति वियान 3,500 लीटर दूध देने की क्षमता) (2 X 50,000 / –)	1,00,000/-
2	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से रू0 1,00,000 / – X 6%	6,000/-
		कुल राशि (रू0) –	**1,06,000/-**

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप–रेखा:–

क्र0	विवरण	सामान्य	अनु0 जाति / जनजाति
1.	योजना पर कुल लागत व्यय –	रू0 1,06,000 / –	रू0 1,06,000 / –
2.	लाभूक का अंशदान –	रू0 10,600 / – (10%)	रू0 6,360 / – (6%)
3	राज्य सरकार द्वारा अनुदान –	रू0 53,000 / – (50%)	रू0 70,660 / – (66.66%)
4.	बैंक ऋण –	रू0 42,400 / – (40%)	रू0 28,980 / – (27.34%)

(II) प्रति वर्ष चारा एवं दाना की आवश्यकता हेतु पशुओं की व्यस्क इकाईयों का आकलन निम्न प्रकार है:–

क्र0	पशु का विवरण	संख्या	व्यस्क इकाई
1.	दुधारू मवेशी	2	2
2.	बाछा, बाछियाँ	2	1
	कुल:–	**4**	**3**

(III) एक वर्ष में सुखा चारा, हरा चारा एवं संतुलित पशु आहार (दाना) की आवश्यता एवं उसका मूल्य:–

क्र0	मात्रा	दर (रु0)	मूल्य (रु0)
1	(क) सूखा चारा 05 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (5 X 3X 300) = 45 क्विंटल (ख) सूखा चारा 07 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (7 X 3X 65) = 13.65 क्विंटल (क+ख) = 58.65 क्विंटल, अर्थात् 59 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू0 500 / –	29,500/-
2	(क) हरा चारा 20 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (20 X 3X 300)= 180 क्विंटल (ख) हरा चारा 15 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (15 X 3X 65)= 29.25 क्विंटल (क+ख) = 209.25 क्विंटल, अर्थात् 210 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू0 300 / –	63,000/-

3	संतुलित पशु आहार (क) दूध देने की अवधि में प्रति पशु 05 कि0ग्रा0 प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 300 दिनों के लिए (5 x 2 x 300)= 30 क्विंटल (ख) विसुखी अवधि में प्रति पशु 01 कि0ग्रा0 प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 65 दिनों के लिए (1 X 2 X 65)= 1.30 क्विंटल (ग) प्रति बछड़ा 0.50 कि0 ग्रा0 प्रतिदिन की दर से पूरे वर्ष (0.5 X 2 X 365)= 3.65 क्विंटल कुल संतुलित पशु आहार (क+ख+ग) = 34.95 क्विंटल, अर्थात् 35 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू0 2,000/–	70,000/-
		कुल योगः– (1+2+3)	**1,62,500/-**

(IV) मूल्य ह्रास एवं सूद :

(क)	दुधारू पशुओं पर 12 प्रतिशत की दर से (1,00,000 X 12%)	12000/-
(ख)	बैंक ऋण पर सूद 12 प्रतिशत की दर से	
	(सामान्य जाति 42,400 x 12%)	5,088/--
	(अनुसूचित जाति/जनजाति 28,980 x 12%)	3,478/-
	कुल योग (सामान्य जाति):–	**17,088/-**
	कुल योग (अनुसूचित जाति/जनजाति):–	**15,478/-**

(V) आय एवं व्ययः–

(1) आयः–

(क)	कुल उत्पादित दूध 7,000 ली0 का मूल्य, रू0 35/– प्रति लीटर की दर से 35 x 7000 ली0	2,45,000/-
(ख)	1 बाछी की बिक्री रू0 26,000/– प्रति बाछी की दर से	26,000/-
(ग)	1 बाछा की बिक्री रू0 8,000/– प्रति बाछा की दर से	8000/-
(ध)	गनी बैग की बिक्री (70 X 20)	1,400/-
	कुल योगः–	**2,80,400/-**

(2) व्यय :

(क)	चारा एवं दाना पर व्यय	1,62,500/-
(ख)	पशु बीमा पर खर्च (6%) प्रतिवर्ष	6,000/-
(ग)	रख–रखाव एवं पशु चिकित्सा पर खर्च प्रति वर्ष	2,500/-
	कुल योगः–	**1,71,000/-**

लाभ	=	(आय – व्यय) = रू0 (2,80,400 - 1,71,000) = रू0 1,09,400/-
विशुद्ध लाभ	=	(लाभ – मूल्य ह्रास एवं सूद)
सामान्य जाति	=	रू0 (1,09,400 - 17,088) = रू0 92,312/-
अनु0 जाति/जनजाति	=	रू0 (1,09,400 - 15,478) = रू0 93,922/-

इस प्रकार 2 उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी की एक इकाई स्थापित करने पर एक वर्ष में सामान्य योजना लिए रू0 92,312/- एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए रू0 93,922/- का विशुद्ध लाभ होगा।

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर

समग्र गव्य विकास योजना 2017-18

उन्नत नस्ल के 04 दुधारू मवेशी की योजना अंतर्गत परियोजना प्रतिवेदन

योजना की आर्थिक रूप–रेखा

1	आधारभूत मान्यताएँः–	उन्नत नस्ल की प्रत्येक दुधारू मवेशी, वियान के पश्चात् 300 दिनों की अवधि में 3500 लीटर दूध देगी। प्रत्येक मवेशी 65 दिन की विसुखी अवधि में रहेगी। प्रथम द्वितीय या वियान की मवेशी का ही क्रय किया जायेगा।

2	तकनीकी मापदण्डः–	
	– एक इकाई में कुल दुधारू मवेशी की संख्या–	4
	– प्रत्येक मवेशी का प्रतिदिन औसत दूध उत्पदन–	12 लीटर

3	प्रति मवेशी प्रतिदिन चारा की आवश्यकता		
	(1) दूध देने की अवधि में–	हरा चारा –	20 कि० ग्रा०
		सुखा चारा–	5 कि० ग्रा०
		संतुलित पशु आहार–	5 कि० ग्रा०
	(2) विसुखी अवधि में–	हरा चारा –	15 कि० ग्रा०
		सुखा चारा–	7 कि० ग्रा०
		संतुलित पशु आहार–	1 कि० ग्रा०

4	वित्तीय मापदण्ड :–	
	–एक उन्नत नस्ल के मवेशी की कीमत –	रू० 50,000/-
	–प्रति लीटर दूध की बिक्री का मूल्य –	रू० 35/-
	–संतुलित पशु आहार का कीमत प्रति कि० ग्रा०–	रू० 20/-
	–हरा–चारा का मूल्य प्रति कि० ग्रा०–	रू० 3/-
	–सूखा–चारा का मूल्य प्रति कि० ग्रा०–	रू० 5/-
	–रख–रखाव एवं पशु चिकित्सा पर व्यय (प्रति वर्ष) प्रति इकाई–	रू० 5,000/-
	–प्रति गनी बैग बिक्री से आय –	रू० 20/-

उन्नत नस्ल का 04 दुधारू मवेशी की योजना की रूप रेखा प्रति इकाई

(I) पूँजीगत खर्च :–

1.	दुधारू मवेशी–04	प्रति दुधारू मवेशी रू0 50,000/– की दर से (प्रति वियान 3,500 लीटर दूध देने की क्षमता) (4 X 50,000/–)	2,00,000/-
2	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से रू0 2,00,000/– X 6%	12000/-
3	पशुशाला निर्माण एवं अन्य व्यय		28000/-
		कुल राशिः (रू0)	**2,40,000**

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप–रेखाः–

क्र0	विवरण	सामान्य	अनु0 जाति/जनजाति
1.	योजना पर कुल लागत व्यय (शेड सहित)–	रू0 2,40,000/–	रू0 2,40,000/–
2.	लाभूक का अंशदान –	रू0 24,000/– (10%)	रू0 14,400/– (6%)
3	राज्य सरकार द्वारा अनुदान –	रू0 1,20,000/– (50%)	रू0 1,59,984/– (66.66%)
4	बैंक ऋण –	रू0 96,000/– (40%)	रू0 65,616/– (27.34%)

(II) प्रति वर्ष चारा एवं दाना की आवश्यकता हेतु पशुओं की व्यस्क इकाईयों का आकलन निम्न प्रकार हैः–

क्र0	पशु का विवरण	संख्या	व्यस्क इकाई
1.	दुधारू मवेशी	4	4
2.	बाछा, बाछियाँ	4	2
	कुलः–	**8**	**6**

(III) एक वर्ष में सुखा चारा, हरा चारा एवं संतुलित पशु आहार (दाना) की आवश्यता एवं उसका मूल्यः–

क्र0	मात्रा	दर (रु0)	मूल्य (रु0)
1	(क) सूखा चारा 05 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (5 X 6 X 300)= 90 क्विंटल (ख) सूखा चारा 07 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (7 X 6X 65)= 27.30 क्विंटल (क+ख) = 117.30 क्विंटल, अर्थात् 118 क्विंटल,	प्रति क्विंटल रू0 500/–	59,000/-
2	(क) हरा चारा 20 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (20 X 6 X 300)= 360 क्विंटल (ख) हरा चारा 15 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (15 X 6X 65)= 58.50 क्विंटल (क+ख) = 418.50 क्विंटल, अर्थात् 419 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू0 300/–	1,25,700/-

3	संतुलित पशु आहार (क) दूध देने की अवधि में प्रति पशु 05 कि0ग्रा0 प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 300 दिनों के लिए (5 X 4 X 300)= 60 क्विंटल (ख) विसुखी अवधि में प्रति पशु 01 कि0ग्रा0 प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 65 दिनों के लिए (1X 4 X 65)= 2.60 क्विंटल (ग) प्रति बछड़ा 0.50 कि0 ग्रा0 प्रतिदिन की दर से पूरे वर्ष के लिये (0.5 X 4 X 365)= 7.30 क्विंटल कुल संतुलित पशु आहार (क+ख+ग) = 69.90 क्विंटल, अर्थात् 70 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू0 2,000/–	1,40,000/-
		कुल योगः– (1+2+3)	**3,24,700/-**

(IV) मूल्य ह्रास एवं सूद :

(क)	दुधारू पशुओं पर 12 प्रतिशत की दर से (2,00,000 X 12%)	24,000/-
(ख)	बैंक ऋण पर सूद 12 प्रतिशत की दर से	
	(सामान्य जाति 96,000 x 12%)	11,520/--
	(अनुसूचित जाति/जनजाति 65,616 x 12%)	7,874/-
	कुल योग (सामान्य जाति):–	**35,520/-**
	कुल योग (अनुसूचित जाति/जनजाति):–	**31,874/-**

(V) आय एवं व्ययः–

(1) आयः–

(क)	कुल उत्पादित दूध 14,000 ली0 का मूल्य, रू0 35/– प्रति लीटर की दर से 35 x 14,000 ली0	4,90,000/-
(ख)	2 बाछी की बिक्री रू0 26,000/– प्रति बाछी की दर से	52,000/-
(ग)	2 बाछा की बिक्री रू0 8,000/– प्रति बाछा की दर से	16,000/-
(घ)	गनी बैग की बिक्री (140 X 20)	2,800/-
	कुल योगः–	**5,60,800/-**

(2) व्यय :

(क)	चारा एवं दाना पर व्यय	3,24,700/-
(ख)	पशु बीमा पर खर्च (6%) प्रतिवर्ष	12,000/-
(ग)	रख–रखाव एवं पशु चिकित्सा पर खर्च प्रति वर्ष	5,000/-
	कुल योगः–	**3,41,700/-**

लाभ	=	(आय – व्यय) = रू0 (5,60,800 - 3,41,700) = रू0 2,19,100/-
विशुद्ध लाभ	=	(लाभ – मूल्य ह्रास एवं सूद)
सामान्य जाति	=	रू0 (2,19,100 - 35,520) = रू0 1,83,580/-
अनु0 जाति/जनजाति	=	रू0 (2,19,100- 31,874) = रू0 1,87,226/-

इस प्रकार **4** उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी की एक इकाई स्थापित करने पर एक वर्ष में सामान्य योजना के लिए रू0 **1,83,580/-** एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए रू0 **1,87,226/-** का विशुद्ध लाभ होगा।

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर

समग्र गव्य विकास योजना 2017-18

उन्नत नस्ल के 06 दुधारू मवेशी की योजना अंतर्गत परियोजना प्रतिवेदन

योजना की आर्थिक रूप–रेखा

1	आधारभूत मान्यताएँः–	उन्नत नस्ल की प्रत्येक दुधारू मवेशी, वियान के पश्चात् 300 दिनों की अवधि में 3500 लीटर दूध देगी। प्रत्येक मवेशी 65 दिन की विसुखी अवधि में रहेगी। प्रथम या द्वितीय वियान की मवेशी का ही क्रय किया जायेगा।

2	तकनीकी मापदण्डः–	
	– एक इकाई में कुल दुधारू मवेशी की संख्या–	6
	– प्रत्येक मवेशी का प्रतिदिन औसत दूध उत्पदन–	12 लीटर

3	प्रति मवेशी प्रतिदिन चारा की आवश्यकता		
	(1) दूध देने की अवधि में–	हरा चारा –	20 कि0 ग्रा0
		सुखा चारा–	5 कि0 ग्रा0
		संतुलित पशु आहार–	5 कि0 ग्रा0
	(2) विसुखी अवधि में–	हरा चारा –	15 कि0 ग्रा0
		सुखा चारा–	7 कि0 ग्रा0
		संतुलित पशु आहार–	1 कि0 ग्रा0

4	वित्तीय मापदण्ड :–	
	–एक उन्नत नस्ल के मवेशी की कीमत –	रू0 50,000/-
	–प्रति लीटर दूध की बिक्री का मूल्य –	रू0 35/-
	–संतुलित पशु आहार का कीमत प्रति कि0 ग्रा0–	रू0 20/-
	–हरा–चारा का मूल्य प्रति कि0 ग्रा0–	रू0 3/-
	–सूखा–चारा का मूल्य प्रति कि0 ग्रा0–	रू0 5/-
	–रख–रखाव एवं पशु चिकित्सा पर व्यय (प्रति वर्ष) प्रति इकाई–.	रू0 7,500/-
	–प्रति गनी बैग बिक्री से आय –	रू0 20/-

उन्नत नस्ल का 06 दुधारू मवेशी की योजना की रूप रेखा प्रति इकाई

(I) पूँजीगत खर्च :–

1.	दुधारू मवेशी–06	प्रति दुधारू मवेशी रू0 50,000/– की दर से (प्रति वियान 3,500 लीटर दूध देने की क्षमता) (6 X 50,000/–)	3,00,000/-
2	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से रू0 3,00,000/– X 6%	18,000/-
3	पशुशाला निर्माण एवं अन्य व्यय		42,000/-
		कुल राशि (रू0) –	**3,60,000/-**

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप–रेखाः–

क्र0	विवरण	सामान्य योजना
1.	योजना पर कुल लागत व्यय (शेड सहित)–	रू0 3,60,000/–
2.	लाभूक का अंशदान –	रू0 36,000/– (10%)
3	राज्य सरकार द्वारा अनुदान –	रू0 1,80,000/–(50%)
4	बैंक ऋण –	रू0 1,44,000/– (40%)

(II) प्रति वर्ष चारा एवं दाना की आवश्यकता हेतु पशुओं की व्यस्क इकाईयों का आकलन निम्न प्रकार हैः–

क्र0	पशु का विवरण	संख्या	व्यस्क इकाई
1.	दुधारू मवेशी	6	6
2.	बाछा, बाछियाँ	6	3
	कुलः–	**12**	**9**

(III) एक वर्ष में सुखा चारा, हरा चारा एवं संतुलित पशु आहार (दाना) की आवश्यता एवं उसका मूल्यः–

क्र0	मात्रा	दर (रु0)	मूल्य (रु0)
1	(क) सूखा चारा 05 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (5 X 9 X 300)= 135 क्विंटल (ख) सूखा चारा 07 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (7 X 9 X 65)= 40.95 क्विंटल (क+ख) = 175.95 क्विंटल, अर्थात् 176 क्विंटल,	प्रति क्विंटल रू0 500/–	88,000/-

2	(क) हरा चारा 20 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (20 X 9 X 300)= 540 क्विंटल		
	(ख) हरा चारा 15 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (15 X 9 X 65)= 87.75 क्विंटल (क+ख) = 627.75 क्विंटल, अर्थात् 628 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू0 300/–	1,88,400/-
3	संतुलित पशु आहार (क) दूध देने की अवधि में प्रति पशु 05 कि0ग्रा0 प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 300 दिनों के लिए (5 X6 X 300)= 90 क्विंटल		
	(ख) विसुखी अवधि में प्रति पशु 01 कि0ग्रा0 प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 65 दिनों के लिए (1X 6 X 65)= 3.90 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू0 2,000/–	2,10,000/-
	(ग) प्रति बछड़ा 0.50 कि0 ग्रा0 प्रतिदिन की दर से पूरे वर्ष के लिये (0.5 X 6 X 365)= 10.95 क्विंटल कुल संतुलित पशु आहार (क+ख+ग) = 104.85 क्विंटल, अर्थात् 105 क्विंटल		
		कुल योगः– (1+2+3)	**4,86,400/-**

(IV) मूल्य ह्रास एवं सूद :

(क)	दुधारू पशुओं पर 12 प्रतिशत की दर से (3,00,000 X 12%)	36,000/-
(ख)	बैंक ऋण पर सूद 12 प्रतिशत की दर से	
	(सामान्य 1,44,000 x 12%)	17,280/--
	कुल योग (सामान्य):–	**53,280/-**

(V) आय एवं व्ययः–

(1) आयः–

(क)	कुल उत्पादित दूध 21,000 ली0 का मूल्य, रू0 35/– प्रति लीटर की दर से 35 x 21,000 ली0	7,35,000/-
(ख)	3 बाछी की बिक्री रू0 26,000/– प्रति बाछी की दर से	78,000/-
(ग)	3 बाछा की बिक्री रू0 8,000/– प्रति बाछा की दर से	24,000/-
(ध)	गनी बैग की बिक्री (210 X 20)	4,200/-
	कुल योगः–	**8,41,200/-**

(2) व्यय :

(क)	चारा एवं दाना पर व्यय	4,86,400/-
(ख)	पशु बीमा पर खर्च (6%) प्रतिवर्ष	18,000/-
(ग)	रख–रखाव एवं पशु चिकित्सा पर खर्च प्रति वर्ष	7,500/-
	कुल योगः–	**5,11,900/-**

लाभ	=	(आय – व्यय) = रू0 (8,41,200 - 5,11,900) = रू0 3,29,300/-
विशुद्ध लाभ	=	(लाभ – मूल्य ह्रास एवं सूद)
	=	रू0 (3,29,300 - 53,280) = रू0 2,76,020/-

इस प्रकार 6 उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी की एक इकाई स्थापित करने पर एक वर्ष में रू0 2,76,020/- का विशुद्ध लाभ होगा।

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर

समग्र गव्य विकास योजना 2017-18

उन्नत नस्ल के 10 दुधारू मवेशी की योजना अंतर्गत परियोजना प्रतिवेदन

1	आधारभूत मान्यताएँः–	उन्नत नस्ल की प्रत्येक दुधारू मवेशी, वियान के पश्चात् 300 दिनों की अवधि में 3500 लीटर दूध देगी। प्रत्येक मवेशी 65 दिन की विसुखी अवधि में रहेगी। प्रथम या द्वितीय वियान की मवेशी का ही क्रय किया जायेगा।

2	तकनीकी मापदण्डः–	
	– एक इकाई में कुल दुधारू मवेशी की संख्या–	10
	– प्रत्येक मवेशी का प्रतिदिन औसत दूध उत्पदन–	12 लीटर

3	**प्रति मवेशी प्रतिदिन चारा की आवश्यकता**		
	(1) दूध देने की अवधि में–	हरा चारा –	20 कि0 ग्रा0
		सुखा चारा–	5 कि0 ग्रा0
		संतुलित पशु आहार–	5 कि0 ग्रा0
	(2) विसुखी अवधि में–	हरा चारा –	15 कि0 ग्रा0
		सुखा चारा–	7 कि0 ग्रा0
		संतुलित पशु आहार–	1 कि0 ग्रा0

4	**वित्तीय मापदण्ड :–**	
	–एक उन्नत नस्ल के मवेशी की कीमत –	रू0 50,000/-
	–प्रति लीटर दूध की बिक्री का मूल्य –	रू0 35/-
	–संतुलित पशु आहार का कीमत प्रति कि0 ग्रा0–	रू0 20/-
	–हरा–चारा का मूल्य प्रति कि0 ग्रा0–	रू0 3/-
	–सूखा–चारा का मूल्य प्रति कि0 ग्रा0–	रू0 5/-
	–रख–रखाव एवं पशु चिकित्सा पर व्यय (प्रति वर्ष) प्रति इकाई–	रू0 12,500/-
	–प्रति गनी बैग बिक्री से आय –	रू0 20/-

उन्नत नस्ल का 10 दुधारू मवेशी की योजना की रूप रेखा प्रति इकाई

(I) पूँजीगत खर्च :–

1.	दुधारू मवेशी–10	प्रति दुधारू मवेशी रू0 50,000/– की दर से (प्रति वियान 3,500 लीटर दूध देने की क्षमता) (10 X 50,000/–)	5,00,000/-
2	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से रू0 5,00,000/– X 6%	30,000/-
3	पशुशाला निर्माण एवं अन्य व्यय		70,000/-
		कुल राशि (रू0) –	**6,00,000/-**

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप–रेखा:–

क्र0	विवरण	सामान्य योजना
1.	योजना पर कुल लागत व्यय (शेड सहित)–	रू0 6,00,000/–
2.	लाभूक का अंशदान –	रू0 60,000/– (10%)
3	राज्य सरकार द्वारा अनुदान –	रू0 3,00,000/– (50%)
4	बैंक ऋण –	रू0 2,40,000/– (40%)

(II) प्रति वर्ष चारा एवं दाना की आवश्यकता हेतु पशुओं की व्यस्क इकाईयों का आकलन निम्न प्रकार है:–

क्र0	पशु का विवरण	संख्या	व्यस्क इकाई
1.	दुधारू मवेशी	10	10
2.	बाछा, बाछियाँ	10	5
	कुल:–	20	15

(III) एक वर्ष में सुखा चारा, हरा चारा एवं संतुलित पशु आहार (दाना) की आवश्यकता एवं उसका मूल्य:–

क्र0	मात्रा	दर (रु0)	मूल्य (रु0)
1	(क) सूखा चारा 05 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (5 X15 X 300)= 225 क्विंटल (ख) सूखा चारा 07 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (7 X 15 X 65)= 68.25 क्विंटल (क+ख) = 293.25 क्विंटल, अर्थात् 294 क्विंटल,	प्रति क्विंटल रू0 500/–	1,47,000/-
2	(क) हरा चारा 20 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (20 X 15 X 300)= 900 क्विंटल (ख) हरा चारा 15 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (15 X 15 X 65)= 146.25 क्विंटल (क+ख) = 1046.25 क्विंटल, अर्थात् 1047 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू0 300/–	3,14,100/-

3	संतुलित पशु आहार (क) दूध देने की अवधि में प्रति पशु 05 कि0ग्रा0 प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 300 दिनों के लिए (5 X 10 X 300) = 150 क्विंटल (ख) विसुखी अवधि में प्रति पशु 01 कि0ग्रा0 प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 65 दिनों के लिए (1X 10 X 65) = 6.50 क्विंटल (ग) प्रति बछड़ा 0.50 कि0 ग्रा0 प्रतिदिन की दर से पूरे वर्ष के लिये (0.5 X 10 X 365)= 18.25 क्विंटल कुल संतुलित पशु आहार (क+ख+ग) = 174.75 क्विंटल, अर्थात् 175 क्विंटल	प्रति क्विंटल रू0 2,000/–	3,50,000/-
		कुल योगः– (1+2+3)	**8,11,100/-**

(IV) मूल्य ह्रास एवं सूद :

(क)	दुधारू पशुओं पर 12 प्रतिशत की दर से (5,00,000 X 12%)	60,000/-
(ख)	बैंक ऋण पर सूद 12 प्रतिशत की दर से (सामान्य 2,40,000 x 12%)	28,800/--
	कुल योग (सामान्य):–	**88,800/-**

(V) आय एवं व्ययः–

(1) आयः–

(क)	कुल उत्पादित दूध 35,000 ली0 का मूल्य, रू0 35/– प्रति लीटर की दर से 35 x 35,000 ली0	12,25,000/-
(ख)	5 बाछी की बिक्री रू0 26,000/– प्रति बाछी की दर से	1,30,000/-
(ग)	5 बाछा की बिक्री रू0 8,000/– प्रति बाछा की दर से	40,000/-
(ध)	गनी बैग की बिक्री (350 X 20)	7,000/-
	कुल योगः–	**14,02,000/-**

(2) व्यय :

(क)	चारा एवं दाना पर व्यय	8,11,100/-
(ख)	पशु बीमा पर खर्च (6%) प्रतिवर्ष	30,000/-
(ग)	रख–रखाव एवं पशु चिकित्सा पर खर्च प्रति वर्ष	12,500/-
	कुल योगः–	**8,53,600/-**

लाभ	=	(आय – व्यय) = रू0 (14,02,000 - 8,53,600) = रू0 5,48,400/-
विशुद्ध लाभ	=	(लाभ – मूल्य ह्रास एवं सूद)
	=	रू0 (5,48,400 - 88,800) = रू0 4,59,600/-

इस प्रकार **10** उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी की एक इकाई स्थापित करने पर एक वर्ष में रू0 **4,59,600/-** का विशुद्ध लाभ होगा।

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर

समग्र गव्य विकास योजना 2017-18

मिल्कींग मशीन/दुग्ध जाँच मशीन एवं दुग्ध शीतलीकरण संयंत्र (बल्क मिल्क कूलर 5000 लीटर क्षमता तक) स्थापित करने की योजना की आर्थिक रूप–रेखा

क्र0	विवरण		इकाई	मूल्य प्रति इकाई	अधिकतम व्यय (रू0)
1	मिल्कींग मशीन (सेमी ऑटोमेटिक)		01	80,000/-	80,000/-
2	इलेक्ट्रॉनिक मिल्कोटेस्टर		01	50,000/-	50,000/-
3	बल्क मिल्क कूलर की स्थापना				
	(i)	500 लीटर क्षमता डी0जी0 सेट सहित	01	9,50,000/-	9,50,000/-
	(ii)	1,000 लीटर क्षमता डी0जी0 सेट सहित	01	11,00,000/-	11,00,000/-
	(iii)	3,000 लीटर क्षमता डी0जी0 सेट सहित	01	16,50,000/-	16,50,000/-
	(iv)	5,000 लीटर क्षमता डी0जी0 सेट सहित	01	18,70,000/-	18,70,000/-
क्रमांक–1 तथा 2 के साथ क्रमांक–3 का कोई एक अवयव, अधिकतम व्यय रू0 20,00,000/-					

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप–रेखाः–

क्र0	विवरण	सामान्य
1	योजना पर कुल लागत व्यय	20,00,000/-
2	लाभुक का अंशदान	2,00,000/- (10%)
3	राज्य सरकार द्वारा अनुदान	10,00,000/- (50%)
4	बैंक ऋण	8,00,000/- (40%)

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर

समग्र गव्य विकास योजना 2017-18

देशी दुग्ध उत्पादों के निर्माण के लिये डेयरी संयंत्र/उपकरणों के क्रय की योजना की आर्थिक रूप–रेखा

क्र0	विवरण	इकाई	मूल्य प्रति इकाई	अधिकतम व्यय (रू0)
1	खोआ मेकिंग मशीन की स्थापना (50 कि0ग्रा0 प्रतिदिन)	01	1,70,000/-	1,70,000/-
2	दूध पनीर मेकिंग मशीन की स्थापना (40 कि0गा0 प्रतिदिन)	01	2,50,000/-	2,50,000/-
3	घी मेकिंग मशीन की स्थापना (100 कि0गा0 प्रतिदिन)	01	2,20,000/-	2,20,000/-
3	आईसक्रीम प्लांट की स्थापना (100 लीटर प्रतिदिन)	01	6,80,000/-	6,80,000/-
			कुलयोगः–	**13,20,000/-**

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप–रेखाः–

क्र0	विवरण	सामान्य
1	योजना पर कुल लागत व्यय	13,20,000/-
2	लाभुक का अंशदान	1,32,000/- (10%)
3	राज्य सरकार द्वारा अनुदान	6,60,000/- (50%)
4	बैंक ऋण	5,28,000/- (40%)

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर

समग्र गव्य विकास योजना 2017-18

05 संकर नस्ल की बाछी पालन की योजना की आर्थिक रूप–रेखा

क्र0	विवरण		राशि (रू0)
1	संकर नस्ल की बाछी–05	प्रति बाछी रू0 22,100/– की दर से 5X22,100/-	1,10,500/-
2	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मुल्य का 6 % की दर से Rs. 1,10,500 X 6%	6,630/-
3	पशुशाला निर्माण एवं अन्य व्यय		14,870/-
		कुल योगः–	**1,32,000/-**

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप–रेखाः–

क्र0	विवरण	सामान्य	अनुसूचित जाति
1	योजना पर कुल लागत व्यय	1,32,000/-	1,32,000/-
2	लाभुक का अंशदान	13,200/- (10%)	7,920/- (6%)
3	राज्य सरकार द्वारा अनुदान	66,000/- (50%)	88,000/- (66.66%)
4	बैंक ऋण	52,800/- (40%)	36,080/- (27.34%)

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर

समग्र गव्य विकास योजना 2017-18

10 संकर नस्ल की बाछी पालन की योजना की आर्थिक रूप–रेखा

क्र0	विवरण		राशि (रू0)
1	संकर नस्ल की बाछी–10	प्रति बाछी रू0 22,100/– की दर से 10X22,100/-	2,21,000/-
2	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मुल्य का 6 % की दर से Rs. 2,21,000 X 6%	13,260/-
3	पशुशाला निर्माण एवं अन्य व्यय		29,740/-
		कुल योगः–	**2,64,000/-**

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप–रेखाः–

क्र0	विवरण	सामान्य
1	योजना पर कुल लागत व्यय	2,64,000/-
2	लाभुक का अंशदान	26,400/- (10%)
3	राज्य सरकार द्वारा अनुदान	1,32,000/- (50%)
4	बैंक ऋण	1,05,600/- (40%)

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर

समग्र गव्य विकास योजना 2017-18

15 संकर नस्ल की बाछी पालन की योजना की आर्थिक रूप–रेखा

क्र0	विवरण		राशि (रू0)
1	संकर नस्ल की बाछी–15	प्रति बाछी रू0 22,100/– की दर से 15X22,100/-	3,31,500/-
2	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मुल्य का 6 % की दर से Rs. 3,31,500 X 6%	19,890/-
3	पशुशाला निर्माण एवं अन्य व्यय		44,610/-
		कुल योगः–	**3,96,000/-**

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप–रेखाः–

क्र0	विवरण	सामान्य
1	योजना पर कुल लागत व्यय	3,96,000/-
2	लाभुक का अंशदान	39,600/- (10%)
3	राज्य सरकार द्वारा अनुदान	1,98,000/- (50%)
4	बैंक ऋण	1,58,400/- (40%)

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर

समग्र गव्य विकास योजना 2017-18

20 संकर नस्ल की बाछी पालन की योजना की आर्थिक रूप–रेखा

क्र0	विवरण		राशि (रू0)
1	संकर नस्ल की बाछी–20	प्रति बाछी रू0 22,100/– की दर से 20X22,100/-	4,42,0000/-
2	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मुल्य का 6 % की दर से Rs. 4,42,000 X 6%	26,520/-
3	पशुशाला निर्माण एवं अन्य व्यय		59,480/-
		कुल योगः–	**5,28,000/-**

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप–रेखाः–

क्र0	विवरण	सामान्य
1	योजना पर कुल लागत व्यय	5,28,000/-
2	लाभुक का अंशदान	52,800/- (10%)
3	राज्य सरकार द्वारा अनुदान	2,64,000/- (50%)
4	बैंक ऋण	2,11,200/- (40%)

जिला गव्य विकास पदाधिकारी
का नाम एवं पदनाम सहित मुहर